न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 113 / 2022

1 गौरीशंकर पुत्र श्री नन्दलाल जाति ब्राह्मण निवासी दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 संतोष देवी पत्नी रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2 सावित्री देवी पत्नी दुर्गाप्रसाद जाति महाजन निवासी दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 अपील
विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.05.2022 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी नवलगढ़ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी
गौरीशंकर बनाम संतोष देवी वगै. बमुकदमा नम्बर 114 / 2019

उपस्थिति :
1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 24/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 114/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम दुर्जनपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.04 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 790/30 रकबा 1.15 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.90 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की खातेदार कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया तथा विचारण न्यायालय से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आया एवं जवाब पेश किया, रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 की सम्यक तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मामले में बहस अंतिम सुनी जाकर दिनांक 31.05.2022 को अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की भूमि खसरा नम्बर 490/30 रकबा 1.15 है. सीमा जोड़ उत्तर दिशा की तरफ स्थित है। उक्त भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। ना ही किसी भाग पर किसी किस्म का रास्ता दर्ज है तथा नक्शाशीट में भी कोई रास्ता अथवा डोटेड लाईन दर्ज है तथा ना ही मौके पर कोई रास्ता प्रचलन का रहा है विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन व अपार क्षति का बिन्दु पक्ष में होने के बावजूद भी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा पत्र को तय करने के आवश्यक तत्व निर्धारित नहीं किये है। प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपार क्षति के बिन्दु को तय नहीं

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किया है। कानून से उक्त तीनों बिन्दुओं को तय किया जाना आदेशात्मक है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में उक्त तीनों बिन्दु तय करने में भारी कानून भूल की है कानून से रिकार्डेड खातेदार को उसके हिससे की भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखल नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ में नहीं आता है। विचारण न्यायालय ने आवेदक अपीलान्ट की प्लीडिंग व दस्तावेज साक्ष्य को बिना डिस्कस किये उक्त निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायलय ने अपीलान्ट का प्रथम दृष्टयज्ञ मामला होने के बाद अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 490/30 स्थित ग्राम दुर्जनपुरा में से रास्ता डालने एवं राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकलन करने बाबत निर्णय पारित करनें में भारी कानूनी भूल की है। इसलिए भी उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.05.2022 को निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 3 को तादौराने दावा सुनवाई अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की भूमि खसरा नम्बर 490/30 में कब्जे काश्त में दखल नहीं करे तथा कोई रास्ता कायम नहीं करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम दुर्जनपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.04 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 790/30 रकबा 1.15 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.90 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की खातेदार कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया तथा विचारण न्यायालय से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आया एवं जवाब पेश किया, रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 की सम्यक तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मामले में बहस अंतिम सुनी जाकर दिनांक 31.05.2022 को अपीलान्ट का

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

विचारण न्यायालय में अपीलान्ट का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लंबित है। मूलवाद का निस्तारण उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर सुनकर किया जाना शेष है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में होना है। इससे पूर्व वाद के निर्णय तक विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विचारण न्यायालय में मूलवाद के संदर्भ में विचाराधीन निर्णय में विवेचन किये बिना आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 212 स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद उभयपक्ष को ग्राम दुर्जनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 490/30 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर